



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

रजिस्ट्रेशन नं. ..... बनाम ..... तहसीलदार, सीकर ग्रामीण  
 किस्म मुकदमा ..... इजराय (11) ..... मु.नं. 31 ..... वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17 <sup>10</sup> / <sub>25</sub>	<p>वकील प्राथी/डिक्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 108/2025 बउनवान सुरेश कुमार बनाम कैलास आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 15.10.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      धोद, जिला सीकर                 </p>
3 <sup>10</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य काय में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/25 को पेश हो।</p>
27 <sup>11</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/डिक्रीदार उप.। पत्रावली वास्ते ई. रिपोर्ट डि. 17 <sup>12</sup>/<sub>25</sub> को पेश हो।</p>
17 <sup>12</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी/डिक्रीदार उप.। प्रकरण इजराय में वर्तित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रावली मु.सं. 108/25/4106 डि. 17 <sup>12</sup>/<sub>25</sub> के डाटा पालना की आकाश पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी एट्ट पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमाड होकर बाद तहसीलदार सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।</p>



  
 उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला-सीकर

